FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0341 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 24/12/2025 18:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 19/12/2025 Date To (दिनांक तक): 23/12/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:00 बजे Time To (समय तक): 12:25 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/12/2025 Time (समय): 17:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 24/12/2025 18:39:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 1.5 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): KARYALAY AAYKAR VIBHAG, BHIWADI, BHARAT SARKAR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEENDAYAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISH PRASAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RABARKA, TAPUKARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RABARKA, TAPUKARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUBHASH URF SONU		पिता:JAIBEER SINGH	1. PATHRARI,MANESAR, बिलासपुर,गुड़गांव,हरियाणा,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री दीनदयाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 45 साल जाति अहिर निवासी ग्राम राबडका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा ने दिनांक 19.12.2025 को समय करीब 01.30 पीएम पर अपने मोबाईल नम्बर से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि मै ग्राम राबडका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा का रहने वाला हूं । मै काफी वर्ष पूर्व दिल्ली किसी कम्पनी में काम करता था, तब मैने वहा अपनी वोटर आईडी से पैनकॉर्ड बनवाया था, जिसके नम्बर ARUPD7554R थे, कुछ समय बाद मै कम्पनी का कार्य छोडकर अपने ग्राम राबडका आकर खेती बाडी का काम करने लगा। उसके बाद सन् 2020 में मुझे पैसो की जरूरत पडी तो मै के0सी0सी0 लोन लेने के लिए पी0एन0बी0 बैंक टपूकडा में पत्रावली जमा करवाई तो बैंक ने मेरे से मेरा पेनकार्ड मांगा। बैंक के मागंने पर मैने मेरा पेनकार्ड देखा तो घर पर नही मिला। इस पर मैने लोन लेने के लिए मेरे आधार कार्ड से दूसरा पेनकार्ड बनवाया जिसके नम्बर HBBPD6671R है। अब मै मेरे पूराने पेनकार्ड को बन्द करवाने के लिए दिनांक 09.12.2025 को आयकर विभाग कार्यालय भिवाडी गया और प्रार्थना पत्र पेश किया तो उस कार्यालय का श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ने मुझे शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा तो मै शपथ पत्र पेश कर दिया। इसके बाद श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ने मुझे कहा कि आपको पूराना पेनकार्ड बन्द करवाना है तो मुझे 5,000 रूपये देने पडेगें नही तो मै आपका पेनकार्ड बन्द नही करूगा और आपके विरूद्व कार्यवाही करूगा । मै मेरे जायज काम के लिए उसको रिश्वत नही देना चाहता हूं और उसको रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई दुश्मनी, रंजिश व उधार का लेन देन बाकि नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी से वाट्सअप कॉल हुई वार्ता अनुसार मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता के दौरान ही परिवादी को गोपनीय मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में बताया गया तथा कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त तथ्यों का प्रार्थना पत्र श्री झाबर सिंह हैड कानि0 को पेश करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही श्री झाबर सिंह हैड कानि0 को उनके मोबाईल पर जरिये वाट्स कॉल वार्ता कर परिवादी के बारे में अवगत करवाकर कार्यालय में उपस्थित होने पर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मांग सत्यापन हेतु वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उसमें नया एसडी कार्ड डालकर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु श्री लल्लूराम कानि0 को भेजने एंव मेरे उपस्थित होने पर प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर पेश करने के लिए कहा गया। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर श्री झाबर सिंह हैड कानि0 ने जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देने व परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर वाईस रिकॉर्डर जरिये फर्द लल्लूराम कानि0 को सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ रवाना करने बाबत बताया गया। तत्पष्चात समय करीब 03.00 पीएम पर श्री लल्लूराम कानि0 497 ने अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर बताया कि मै और परिवादी मांग सत्यापन हेतु कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी पर पहुंचे, जहां पर मैने परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालूकर दिया जाकर परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास उनके कार्यालय में भेजा तथा मै उस कार्यालय के बाहर ही रूक गया। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया और वाईस रिकॉर्डर मुझे पेश किया, जिसको मैने बन्द कर अपने कब्जे में लिया। तब परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर से वार्ता हो गई है और उसने मेरे से मेरा पूराना पेनकार्ड बन्द करने के लिए 4,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशी लेकर मुझे मंगल व बुधवार को बुलाया है। इस पर परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने कानि0 द्वारा बताई गई बातों की ताईद की। इसके बाद परिवादी को अग्रीम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी 4,000 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 23.12.2025 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी गई तथा कानि0 लल्लूराम को परिवादी को वही से उसके निवास स्थान के लिए रवाना कर कार्यालय में उपस्थित होकर वाईस रिकॉर्डर श्री झाबर सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर उनके मार्फत सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखने के लिए कहा गया। इसके बाद समय करीब 03.30 पीएम श्री झाबर सिंह हैड कानि0 ने जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर श्री लल्लूराम कानि0 के बाद मांग सत्यापन कार्यालय में उपस्थित होने व वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रख कर लॉक लगाने बाबत बताया गया। इसके बाद दिनांक 22.12.2025 को समय करीब 05.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य

कर कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री झाबर सिंह हैड कानि0 द्वारा परिवादी श्री दीनदयाल द्वारा कार्यवाही हेतु दिनांक 19.12.2025 को दिया गया प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की आलमारी से निकालकर पेश किया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा पेश टाईप शुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र परिवादी द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल कर बताये गये तथ्यों से सम्बन्धित होना पाया गया, जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पष्चात मांग सत्यापन के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुनने हेतु चालू किया गया तो उक्त वार्ता एसडी कार्ड में रिकॉर्ड न होकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना पाया गया तथा वार्ता में परिवादी व कानि0 लल्लूराम द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बातो की ताईद होना व संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसके पूराने पेनकार्ड को बन्द करने के लिए 4,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मगंल या बुधवार को लेकर आने के लिए कहना स्पष्ट रूप से पाया गया। वाईस रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर ताला लगाया गया। इसके बाद अग्रीम कार्यवाही हेतु आयुक्त नगर परिषद भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र जारी कर श्री रवि कुमार, कानि0 को हमराह देकर दिनांक 23.12.2025 के लिए दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाये गये। इसके बाद दिनांक 23.12.2025 पाबन्द शुदा परिवादी श्री दीनदयाल कार्यालय में उपस्थित आया, जिससे मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः परिचय कर उससे उसके लिखित प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यो के बारे में पूछा तो उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना एंव लिखित रिपोर्ट अपनी हस्त लिखित होना बताया। इसके बाद परिवादी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशी 4,000 रूपये बाबत पूछा गया तो परिवादी ने अपने पास होना बताया गया। तत्पष्चात समय करीब 10.05 एएम पूर्व के पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहन कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम राकेश कुमार फायर वाहन चालक व दूसरे ने अपना नाम अविनाश कुमार फायर वाहन चालक कार्यालय नगर परिषद भिवाडी जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पष्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री दीनदयाल से परिचय करवाया जाकर उसके द्वारा दिनांक 19.12.2025 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना व प्रार्थना पत्र अपना हस्तलिखित होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 19.12.2025 को टेप किया गया था एंव जिसको दिनांक 22.12.2025 को चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला जाकर वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटाप की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब- शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री दीनदयाल द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री रवि कुमार कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पष्चात वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 16GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री रवि कुमार कानि0 से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व वाईस रिकॉर्डर की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद तीनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर मार्का A-1, A-2 व A-3 अंकित किया जाकर मार्क A-1, A-2 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। इसके बाद मूल वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड के सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती पैनड्राईव व वाईस रिकॉर्डर रिश्वती राशी मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पष्चात समय करीब 11.30 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशी पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित कर उक्त नोटों के

नम्बर मन् पुलिस उप अधीक्षक एंव गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्री निहाल सिंह कानि0 595 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीषी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 4,000/- रूपये के नोटों को रखकर उन पर अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री दीनदयाल की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दिया गया। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 4,000/-रूपये के नोट श्री निहाल सिंह कानि0 595 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाऊडर युक्त राशि उसे देवे, और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से काल/मिस कॉल देकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री निहाल सिंह कानि0 595 के दाहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान तथा हाजरिन् को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशी मांगकर ग्रहण की है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव गिलास को जलवा कर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात पाऊडर लगाने वाले श्री निहाल सिंह कानि0 595 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया । परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर में नया 16 जीबी सेनडिस्क एसडी कार्ड डालकर वाईस रिकार्डर को परिवादी को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजीटल वाईस टेपरिकार्डर पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 12.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27 व गवाह श्री राकेश कुमार के सरकारी वाहन मय ड्राईवर इन्द्रजीत के एंव स्टाफ सदस्य श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11, श्री राजबीर सिंह कानि0, श्री रवि कुमार कानि0 व गवाह श्री अविनाश कुमार प्राईवेट वाहन से एंव परिवादी श्री दीनदयाल व श्री लल्लूराम कानि0 487 परिवादी की मोटर साईकिल से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से संदिग्ध आरोपी के कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी के लिए रवाना होकर मय हमराहीयान के समय करीब 12.20 पीएम पर कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी के नजदीक भीड भाड वाली जगह पर पहुंचा, जहा पर वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर को चालू करने की हिदायत देकर संदिग्ध आरोपी के पास उनके कार्यालय के लिए रवाना किया गया तथा बाकि स्टाफ सदस्यों को वाहनो सें नीचे उतारकर मन उप अधीक्षक पुलिस व स्टाफ सदस्य परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर अपनी-2 उपस्थिति छुपातें हुये उस कार्यालय के बाहर खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पष्चात समय करीब 12.25 पीएम पर परिवादी दीनदयाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 45 साल जाति अहिर निवासी ग्राम राबडका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा ने कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी के बाहर छजे पर खडा होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा मिस कॉल/सिर पर हाथ फेरकर किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर बंद हालात में अपने कब्जे में लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं अभी-अभी आपके निर्देशानुसार श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पास उनके कार्यालय आयकर विभाग में गया तो श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मुझे अपने कार्यालय में कम्प्यूटर पर कार्य करते हुये मिला। जिसको मैने नमस्कार किया और उनको मैने कहा कि साहब आपने मगंलवार को बुलाया था मेरा काम हो गया क्या, तो उन्होने मुझे कहा कि आपका काम हो जायेगा शामः तक रिपोर्ट आ जायेगी। इसके बाद उन्होने मुझे कहा कि वो पैसे दो, तो मैने उनको उसके तय शुदा 4,000 रूपये पाऊडर युक्त अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उनको दिये तो उन्होने मेरे से अपने दाहिने हाथ

से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी टेबिल की दाहिनी साईड की नीचें की दराज में रख लिये। इसके बाद मुझे कहा कि आपका काम हो जायेगा, शामः तक रिपोर्ट आ जायेगी। इसके बाद मै वहा से बाहर छजे पर आकर आपको नियत ईशारा कर दिया। श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अभी अपने कार्यालय में ही बैठे हुये है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्यों के परिवादी को साथ लेकर तुरन्त ही उस कार्यालय के अन्दर आया तो कार्यालय के अन्दर एक कमरे में पेन्ट शर्ट व ग्रीन स्वेटर पहने हुये व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दिया। जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब जो सामने कुर्सी पर बैठा है, वही श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर है। जिन्होनें अभी-अभी मेरे से अपनी तयषुदा रिश्वत राशी 4,000/-रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी टेबिल की दाहिनी साईड की नीचें की दराज में रखे है, जो अभी इनकी टेबिल की दराज में ही है। इस पर वह व्यक्ति ट्रेप पार्टी को अपनी ओर आते देखकर कुर्सी से खडा हो गया। तत्पष्चात उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एंव हमराहीयान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू पुत्र श्री जयबीर सिंह उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम पथरेडी तहसील मानेसर, पुलिस थाना बिलासपुर जिला गुरूग्राम (हरि0) हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा कर्मी कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पष्चात आरोपी श्री श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर से परिवादी श्री दीनदयाल से मांग सत्यापन दिनांक 19.12.2025 को उसके पुराने पेनकार्ड को बन्द करने के लिए रिश्वत राशी 4,000/-रूपये मांगने व आज वर वक्त रिश्वत राशी लेनदेन के समय अपनी मांग अनुसार 4,000/-रूपये रिश्वत के परिवादी से प्राप्त किये, बाबत पूछा गया कि आपने उक्त रूपये परिवादी से किस काम के लिए, लिए है तथा वह रूपये कहां पर है, तो आरोपी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ने बताया कि दिनांक 19.12.2025 को श्री दीनदयाल मेरे पास करीब ढाई बजे के लगभग मेरे कार्यालय में आया था और अपने पुराने पेनकार्ड को बन्द करवाने की बात की थी। उक्त कार्य करने वाले श्री राहुल कर सहायक अवकाष पर होने के कारण यह कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैने उस समय इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी। इसके बाद यह आज समय करीब 12.20 पीएम के आस पास मेरे पास मेरे कार्यालय में आया और अपने पुराने पेनकार्ड को बन्द करने के बारे में बात की तो मैने इनको कहा कि आपका पेनकार्ड बन्द हो गया है जिसकी रिपोर्ट शांय तक आ जायेगी। इसके बाद श्री दीनदयाल ने 500-500 रूपये के कुछ नोट अपनी जेब से निकालकर मुझे दिये और कहा कि ये आपकी मिठाई पानी के है। दीनदयाल द्वारा दिये रूपये मैने अपनी टेबिल की दाहिनी साईड की नीचें की दराज में रख दिये जो अभी दराज में ही रखे हुये है। मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री दीनदयाल से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर झूठ बोल रहा है। मैं मांग सत्यापन दिनांक 19.12.2025 को जब इनके पास मेरे पुराने पेनकार्ड को बन्द करवाने के लिए आया तो इन्होने मेरे से मेरा पेनकार्ड बन्द करने के लिए 5,000 रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मैने इनसे कुछ कम करने के लिए कहा तो इन्होने मेरे से 4,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मगल व बुधवार को लेकर आने के लिए कहा। इसके बाद आज दिनांक 23.12.2025 की इनकी मांग अनुसार 4,000 रूपये अपने साथ लेकर इनके कार्यालय में आया तो श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मुझे अपने कार्यालय में कम्प्यूटर पर कार्य करते हुये मिला। जिसको मैने नमस्कार किया और उनको मैने कहा कि साहब आपने मगंल बुधवार को बुलाया था मेरा काम हो गया क्या, तो इन्होने मुझे कहा कि हा हो गया है शांय तक रिपोर्ट आ जायेगी। इसके बाद इन्होने मुझे कहा कि वो पैसे दो, तो मैने इनको इनके तय शुदा 4,000 रूपये पाऊडर युक्त अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर इनको दिये तो इन्होने मेरे से अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी कार्यालय की टेबिल की दाहिनी साईड की नीचें की दराज में रख लिये। इसके बाद मुझे कहा कि आपका काम हो जायेगा शांय तक रिपोर्ट आ जायेगी। इसके बाद मै वहा से बाहर छजे पर आकर आपको नियत ईशारा मिस कॉल कर व सिर पर हाथ फेरकर कर दिया। इसके बाद श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कुर्सी पर बैठाकर पुनः पूछ गया तो कुछ नही बोला और चुप हो गया। इसके बाद उक्त कार्यालय में लगे आरओ से साफ प्लास्टिक की बोतल में पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ पारदर्षी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर दोनों गिलासों में श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ की अगुलियां/अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी व बांये हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर गुलाबी व मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पष्चात गवाह श्री राकेश कुमार से आरोपी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की टेबिल की दाहिनी साईड की नीचें की दराज की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने उसमें कुछ रूपये होना बताया। जिसको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा तो दोनों गवाहान ने

नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/- रूपये होना एंव उक्त नोटो के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। तत्पष्चात बरामदशुदा नोटों को एक प्लास्टिक की थैली में रखकर उस थैली को रिश्वत राशी सहित सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात पूर्व की भॉति एक अन्य प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में आरोपी की टेबिल की दाहिनी साईड की नीचें की दराज जिसमें सफेद कागज के उपर से रिश्वत राशी बरामद की गई थी, उस कागज के उस स्थान जिससे रिश्वत राशी टच थी का एक साफ रूई के फोवे से धौवन लिया गया, तो धौवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धित ने देखकर गैदमैला होना स्वीकार किया। तत्पष्चात उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीषीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T-1 व T-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद उक्त सफेद कागज जिससे रिश्वत राशी टच थी एंव जिसका रूई के फोवे से धोवन लिया गया था उसको अच्छी तरह सुखाकर उस पर नीले पेन से गोला कर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर व रूई के फोवे को अच्छी तरह सुखाकर बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क T अकिंत कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें कोई वार्ता होना नही पाया गया। इस पर परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब मै जब आरोपी के पास गया तब वाईस रिकॉर्डर चालूकर अपनी शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखा था, शायद रखते समय यह बन्द हो गया हो। उक्त कार्यवाही की विभागीय कैमरे में नया एसडी कार्ड लगाकर श्री रवि कानि0 से विडियोंग्राफी करवाई गई। इसके बाद आरोपी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को परिवादी दीनदयाल के पुराने पेनकार्ड बन्द करने की पत्रावली बाबत पूछा गया तो आरोपी ने उक्त पेनकार्ड से सम्बन्धित मूल दस्तावेज आयकर विभाग कार्यालय अलवर में भेजना तथा उसकी स्केन कॉपी अपने कार्यालय कम्प्यूटर में होना बताया। परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिष, दुष्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो दोनो ने ही इंकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशी एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी से सम्बन्धित रिकॉर्ड को जरिये फर्द जब्त किया गया। इसके बाद समय करीब 03.30 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी दीनदयाल से आरोपी द्वारा 4000/-रूपये रिश्वत राशी मांग कर प्राप्त करने पर परिवादी से निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरु करने से पूर्व डिजिटल कैमरे मे 32 जीबी सेनडिस्क मेमोरी कार्ड डालकर श्री रवि कुमार कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त डिजिटल कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया जाकर ट्रेप बाक्स से दो खाली पेनड्राईव 32 जीबी निकलवाकर करवाई गई वीडियो ग्राफी के बारी-बारी से तैयार करवाये गये। इसके बाद दोनों पेन ड्राईव का लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से बारी-2 से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी से मिलान होना पाया गया। तत्पष्चात पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से निकलवायी जाकर हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः C-1, C-2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन डाईव मार्क C-2 को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी श्री सुभाष उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा कर्मी कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा को उसके द्वारा किये गये जुर्म में बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत गिरफतार किये जाने का नोटिस दिया जाकर जरिये फर्द समय करीब 05.30 पीएम पर जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री दीनदयाल के समक्ष वक्त रिश्वत लेन देन के वाईस रिकॉर्डर को पुनः चालूकर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन देन से सम्बन्धित कोई वार्ता टेप होना नही पाया गया। इसलिए फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशी लेन देन व जब्ती पेनड्राईव तैयार नही की गई। तत्पष्चात उक्त वाईस रिकॉर्डर मे लगे एसडी कार्ड 16 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्लास्टिक डिब्बी मय एसडी कार्ड के सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-2 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात समय करीब 6.30 पी.एम. दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड मोहर करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर ACB ALW kk ¼8½ लिखा हुआ है को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही श्री लल्लूराम कानि0 487 से तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया।

-

इसके बाद समय करीब 07.00 पीएम पर परिवादी श्री दीनदयाल को बाद ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न उसकी मोटरसाईकिल के अपने निवास स्थान के लिए रवाना मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुभाष चन्द उर्फ सोनू डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा कर्मी कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशी, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये सरकारी, प्राईवेट प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी से एसीबी कार्यालय भिवाडी के लिए रवाना होकर समय करीब 07.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी कार्यालय भिवाडी पर पहुंचा। जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशियां व जब्त शुदा रिश्वती राशी नम्बरी 4000/-रूपये को श्री सतीश कुमार, हैड कानि. के सुपुर्द किया जाकर जमा मालखाना किया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को जाने की ईजाजत दी गई।अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से आरोपी श्री सुभाष उर्फ सोनू पुत्र श्री जयबीर सिंह उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम पथरेडी तहसील मानेसर, पुलिस थाना बिलासपुर जिला गुरूग्राम (हरि0) हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा कर्मी कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी दीनदयाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 45 साल जाति अहिर निवासी ग्राम राबडका, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा से उसके पुराने पेनकार्ड को बन्द करने के लिए मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.12.2025 को परिवादी से 5,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने पर 4,000 रूपये रिश्वत की मांग कर मगंल व बुधवार को लेकर आने के लिए कहकर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में वर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 23.12.2025 को रिश्वत राशी लेन देन के समय अपनी तय शुदा रिश्वत राशी 4,000 रूपये परिवादी से मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनों हाथो से गिनकर अपनी टेबिल की दाहिनी साईड की नीचें की दराज में रखना तथा उक्त रिश्वत राशी दराज से बरामद होने पर आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बखूबी प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सुभाष उर्फ सोनू पुत्र श्री जयबीर सिंह उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम पथरेडी तहसील मानेसर, पुलिस थाना बिलासपुर जिला गुरूग्राम (हरि0) हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा कर्मी कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (परमेश्वर लाल)उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भिवाडी...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुभाष उर्फ सोनू पुत्र श्री जयबीर सिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम पथरेडी, तहसील मानेसर, पुलिस थाना बिलासपुर, जिला गुरूग्राम (हरियाणा) हाल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदाकर्मी, कार्यालय आयकर विभाग भिवाडी, जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रमेश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 389 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1927-30 दिनांक 24.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- प्रधान आयकर आयुक्त, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी । उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): RAMESHCHAND RAIGAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/12/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)